न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 109 / 2024
निर्णय दिनांक : 08.03.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 239

दायर दिनांक – 19.11.2024

राजेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम जाति जाट निवासी ग्राम रिणवां की ढ़ाणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम रणवां की ढ़ाणी का स्थाई निवासी है जिनके रोही ग्राम रणवां की ढ़ाणी में खेत खाता संख्या 63 के खसरा संख्या 323 तादादी 8.0169 हैक्टेयर, खसरा नं. 324 तादादी 1.3909 हैक्टेयर, खसरा नं. 325 तादादी 1.6185 हैक्टेयर, खसरा नं. 326 तादादी 1.8335 हैक्टेयर, खसरा नं. 327 तादादी 1.8967 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल तादादी 14.7565 व वाके रोही राजियासर खारा में खेत खाता संख्या 63 के खसरा नं. 527 / 442 तादादी 1.9852 हैक्टेयर एवं वाके रोही ग्राम घोटड़ा के खेत खाता संख्या 80 के खसरा नं. 100 तादादी 4.5269 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजू राम पुत्र पीथाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, पासपोर्ट की फोटो प्रति, जनाधार कार्ड की प्रति आदि में राजेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

सदस्य
...अदालत
...जानगढ़

प्रार्थी का खेत रोही राजियासर खारा, घोटड़ा, रणवां की ढाणी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम दर्ज है। राजूराम व राजेन्द्र कुमार दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, पासपोर्ट की फोटो प्रति, जनाधार कार्ड की प्रति आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम रणवां की ढाणी में खेत खाता संख्या 63 के खसरा संख्या 323 तादादी 8.0169 हैक्टेयर, खसरा नं. 324 तादादी 1.3909 हैक्टेयर, खसरा नं. 325 तादादी 1.6185 हैक्टेयर, खसरा नं. 326 तादादी 1.8335 हैक्टेयर, खसरा नं. 327 तादादी 1.8967 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल तादादी 14.7565 व वाके रोही राजियासर खारा में खेत खाता संख्या 63 के खसरा नं. 527/442 तादादी 1.9852 हैक्टेयर एवं वाके रोही ग्राम घोटड़ा के खेत खाता संख्या 80 के खसरा नं. 100 तादादी 4.5269 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार राजूराम पुत्र पिथाराम जाति जाट निवासी रणवां की ढाणी खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम जाति जाट निवासी रणवां की ढाणी खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़